

प्रेषक,

डा० अनूप चन्द्र पाण्डेय,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2-समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 24 अगस्त, 2018

विषय: पशुपालन विभाग की बहुउद्देशीय संचल पशुचिकित्सा सेवाओं के अन्तर्गत
क्रय वाहनों को योजना से इतर प्रयोग न किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-436/सैतीस-2-2017-1(32)/2015टीसी0-।।।, दिनांक 21 अप्रैल, 2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से पशुपालकों को पशुचिकित्सा सुविधा उनके समीप में उपलब्ध कराने, प्रभावी रोग नियंत्रण एवं किसी संक्रामक बीमारी/महामारी रोग के फैलने की स्थिति में तत्काल रोकथाम, बॉझपन शिविरों के आयोजन, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान तथा उसका फालोअप, वेटेरोलीगल केसेज के साथ-साथ कामधेनु योजना तथा कुक्कुट विकास कार्यक्रमों के लाभार्थियों को उपरोक्त सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रारम्भ की गई बहुउद्देशीय संचल पशुचिकित्सा सेवायें योजना के अन्तर्गत प्रत्येक विकासखण्ड के पशुचिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध कराये गये एक-एक बहुउद्देशीय संचल पशु चिकित्सा वाहन वाहनों को योजना से इतर अन्य प्रयोजनों/कार्यों हेतु कदापि अधिगृहीत न किये के निर्देश निर्गत किये गये थे।

2- शासन के संज्ञान में आया है कि उक्त निर्गत आदेश के बाद भी कतिपय जनपदों में जिला प्रशासन द्वारा योजना के वाहनों को अन्य कार्यों यथा परीक्षा कार्यों तथा कानून व्यवस्था से सम्बन्धित अन्य कार्यों हेतु अधिगृहीत/ले लिया जाता है, जिससे पशुचिकित्सा सेवायें गम्भीर रूप से प्रभावित होती है, तथा योजना का उद्देश्य विफल हो रहा है।

3- प्रकरण की गम्भीरता एवं संवेदनशीलता की ओर आपका ध्यान पुनः आकृष्ट करते हुये यह उल्लेख करना है कि बहुउद्देशीय संचल पशुचिकित्सा सेवा योजना के अन्तर्गत विकासखण्ड स्तर पर उपलब्ध कराये गये पशुचिकित्सा वाहनों के माध्यम से आपातकालीन पशुचिकित्सा एवं कृत्रिम गर्भाधान सुविधायें उपलब्ध करायी जाती है। साथ ही खुरपका-मुँहपका रोग नियंत्रण के राष्ट्रीय कार्यक्रम अन्तर्गत समयबद्ध रूप से वर्ष में छः माह के अन्तराल पर 45 दिवसीय एफ.एम. डी.-टीकाकरण अभियान के साथ-साथ एवं एच.एस. तथा पी.पी.आर. आदि सामयिक टीकाकरण कार्यों के क्रियान्वयन में इन वाहनों का सतत् उपयोग किया जाता है। सन्दर्भित वाहनों में तरल नाइट्रोजन कन्टेनर फिक्स किये गये हैं, जिसमें तरल नत्रजन (-)196 डिग्री सेन्टीग्रेड तापक्रम पर रखी होती है। इसके अतिरिक्त अन्य औषधियों, वैक्सीन तथा सीरम सैम्पुल आदि भी रखे होते हैं। इस प्रकार

यह बहुउद्देशीय सचल वाहन सोफिस्टीकेटेड पशु चिकित्सा उपकरणों एवं औषधियों से सुसज्जित विशिष्ट वाहन है।

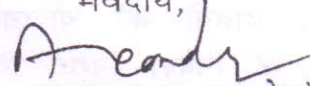
4- योजना की गाईड लाईन में यह व्यवस्था है कि इन वाहनों का उपयोग योजना से इतर अन्य सामान्य/विविध कार्यों हेतु किसी भी दशा में न किया जाय। वर्तमान में प्रदेश में दिनांक 15 सितम्बर, 2018 से खुरपका-मुँहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम अन्तर्गत 23वें चरण का एफ.एम.डी.-टीकाकरण अभियान विभाग द्वारा चलाया जाना प्रस्तावित है। यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिसमें पशुचिकित्सा अधिकारी एवं अन्य स्टाफ द्वारा पशुपालकों के द्वार पर जाकर पशुओं में शत-प्रतिशत टीकाकरण किया जाता है। साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा माह-अक्टूबर, 2018 में एफ0एम0डी0 टीकाकरण पखवाड़ा मनाये जाने का निर्णय लिया गया है। सचल पशुचिकित्सा वाहनों का अन्यत्र उपयोग होने के कारण उक्त योजना प्रभावित हो रही है, साथ ही योजनान्तर्गत सम्पन्न होने वाले अन्य कार्य भी सम्पादित नहीं हो पा रहे हैं, जिससे योजना का मूल उद्देश्य ही खत्म हो रहा है एवं योजना विफल हो रही है।

5- अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि बहुउद्देशीय सेवा के अन्तर्गत विकासखण्ड स्तर पर पशुचिकित्सा अधिकारियों को उपलब्ध कराये गये पशुचिकित्सा वाहनों को योजना से इतर अन्य प्रयोजनों/कार्यों हेतु कदापि अधिगृहीत न किया जाये साथ ही यदि योजना के वाहनों को योजना से इतर अन्य प्रयोजनों हेतु अधिगृहीत किया गया हो तो उसे तत्काल अवमुक्त किया जाये।

इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

408/ST/RAH/24.8.18
संविनो (रोगनो)

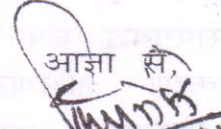
24.08.2018

भवदीय,

(डा0 अनूप चन्द्र पाण्डेय)
मुख्य सचिव।
9/

संख्या-2806/सैतीस-2-2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, (प्रशासन एवं विकास)/(रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. समस्त अपर निदेशक, ग्रेड-2 (सम्बन्धित मण्डल), पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
5. समस्त मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा सै,

(डा0 सुधीर एम. बोबडे)
प्रमुख सचिव।
9/

कार्यालय: निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक 643 /सा०-एक/एक्स-84(120)/बहु०स०प०चि०से०/2018-19, दिनांक 29 अगस्त, 2018
मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन, महोदय द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या: 2806/सैतीस-2
/2018-1(32)/2015टी०सी०-III, दिनांक 24 अगस्त, 2018 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ
एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु पृष्ठांकित कर प्रेषित:-

- 1- परिवहन अधिकारी, मुख्यालय।
- 2- समस्त मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, उ०प्र०।
- 4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 5- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 6- प्रमुख सचिव, पशुधन, उ०प्र० शासन, सचिवालय, लखनऊ को शासनादेश
संख्या: 2806/सैतीस-2/2018-1(32)/2015टी०सी०-III, दिनांक 24 अगस्त, 2018 के
अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(डा० चरण सिंह यादव)
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास।